



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112020-223090
CG-DL-E-17112020-223090

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3566]
No. 3566]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2020

का.आ. 4049(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 639 (अ) तारीख 7 फरवरी, 2020, भारत के राजपत्र सं० 585 तारीख 11 फरवरी, 2020 में प्रकाशित की गई थी। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में “हल्दीया - बरौनी पाइपलाइन सिस्टम्स परियोजना” हेतु जिला जमुई में कच्चा तेल के परिवहन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 14, जून, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी (बरौनी, बिहार) ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी,

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदाई होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
जिला - जमुई		राज्य : बिहार			
अंचल	मौज़ा का नाम	सर्वे / प्लॉट नम्बर	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	अरे	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सोनो	घुटुवे (घुटुवे) - 21/1	460	00	04	21
		461	00	02	18
		454	00	00	60
		455	00	20	33
		457	00	10	70
सोनो	डुमरी (भालसोम) - 13/30	72	00	03	52
		83	00	03	89
		84	00	04	52
		111	00	23	27
		208	00	03	74
		205	00	00	22
		227	00	05	15
		229	00	01	22
सोनो	कनहाइफरका - 20	514	00	09	47
		510	00	01	18
		493	00	05	83
		229	00	04	11
सोनो	शहरफरका - 17	849	00	23	60
		841	00	05	77
		838	00	00	20
		837	00	08	61
		835	00	10	31
		830	00	08	90
		827	00	01	11
		828	00	05	96
		825	00	09	51
		819	00	06	48
		803	00	09	05
		802	00	21	45

		737	00	04	16
		753	00	02	25
		751	00	00	98
		743	00	06	69
		702	00	00	20
		744	00	04	60
		746	00	02	14
		756	00	03	24
		757	00	11	73
		763	00	05	11
		766	00	00	20
		767	00	02	03
		690	00	11	45
		671	00	00	20
		664	00	04	45
		660	00	09	92
सोनो	चुरहीत -16	1712	00	00	89
		1701	00	07	13
		1700	00	00	20
		1696	00	01	89
		1664	00	08	77
		1695	00	01	07
		1727	00	00	20
		1561	00	04	32
		1559	00	03	51
		1555	00	03	83
		1553	00	03	67
		1532	00	03	82
		1518	00	08	73
		1519	00	05	90
		1126	00	01	85
		1079	00	08	95
		803	00	02	12
		804	00	01	03
		805	00	00	49
		806	00	01	27
		749	00	02	29
		798	00	05	46
		748	00	00	20
		795	00	01	43

		783	00	00	44
		794	00	03	69
		787	00	01	05
		786	00	03	40
		170	00	39	58
		168	00	05	51
		165	00	04	10
		134	00	02	25
		132	00	03	96
		135	00	00	99
		140	00	00	20
		128	00	00	67
		217	00	02	56
		222	00	01	09
		230	00	01	40
		231	00	01	62

[फा. सं.आर.-11025(11)/1/2019-ओआर-1/ई-28108]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, 10th November, 2020

S. O. 4049(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 639 (E) Dated 07 February, 2020, published in the Gazette of the India issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Haldia-Barauni Pipeline Systems Project” for the transportation of Crude Oil in Jamui District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 14 June 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

"SCHEDULE

District : Jamui			State : Bihar		
Anchal	Name of Mouza	Survey / Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sono	Ghutwe (Ghutwe)- 21/1	460	00	04	21
		461	00	02	18
		454	00	00	60
		455	00	20	33
		457	00	10	70
Sono	Dumuri (Bhalasom) - 13/30	72	00	03	52
		83	00	03	89
		84	00	04	52
		111	00	23	27
		208	00	03	74
		205	00	00	22
		227	00	05	15
Sono	Kanhaipharka - 20	229	00	01	22
		514	00	09	47
		510	00	01	18
		493	00	05	83
		229	00	04	11
Sono	Shahraharka - 17	849	00	23	60
		841	00	05	77
		838	00	00	20
		837	00	08	61
		835	00	10	31
		830	00	08	90
		827	00	01	11
		828	00	05	96
		825	00	09	51
		819	00	06	48
		803	00	09	05
		802	00	21	45
		737	00	04	16
		753	00	02	25
		751	00	00	98
		743	00	06	69
		702	00	00	20
		744	00	04	60
		746	00	02	14
		756	00	03	24
		757	00	11	73
		763	00	05	11
		766	00	00	20
		767	00	02	03
		690	00	11	45
		671	00	00	20
		664	00	04	45
		660	00	09	92
Sono	Churhit -16	1712	00	00	89
		1701	00	07	13
		1700	00	00	20
		1696	00	01	89
		1664	00	08	77
		1695	00	01	07
		1727	00	00	20
		1561	00	04	32

		1559	00	03	51
		1555	00	03	83
		1553	00	03	67
		1532	00	03	82
		1518	00	08	73
		1519	00	05	90
		1126	00	01	85
		1079	00	08	95
		803	00	02	12
		804	00	01	03
		805	00	00	49
		806	00	01	27
		749	00	02	29
		798	00	05	46
		748	00	00	20
		795	00	01	43
		783	00	00	44
		794	00	03	69
		787	00	01	05
		786	00	03	40
		170	00	39	58
		168	00	05	51
		165	00	04	10
		134	00	02	25
		132	00	03	96
		135	00	00	99
		140	00	00	20
		128	00	00	67
		217	00	02	56
		222	00	01	09
		230	00	01	40
		231	00	01	62

[F. No. R- 11025(11)/1/2019-OR-I/E-28108]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.